प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने दाचा जनार्दन महेश, नगर नियोजन अनुभाग अधिकारी, जीएचएमसी, सिकंदराबाद द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्तियों की जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 5.15 करोड़ रुपये मूल्य की 19 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां दाचा जनार्दन महेश और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित भूखंड, दुकानें, फ्लैट और आवासीय परिसर के रूप में हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और धारा 13(1)(ई) के तहत हैदराबाद स्थित भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दिनांक 04.04.2016 को दर्ज की गई एफआईआर संख्या आरसी 03/आरसीए-एचआर/2016 के आधार पर, दाचा जनार्दन महेश, नगर नियोजन अनुभाग अधिकारी, सर्किल-18, जीएचएमसी, सिकंदराबाद के विरुद्ध जांच शुरू की गई। एसीबी ने 22.06.2022 को हैदराबाद स्थित माननीय प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एसपीई एवं एसीबी मामलों के लिए) के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया। उक्त आरोपपत्र के अनुसार, दाचा जनार्दन महेश के पास उनकी और उनके परिवार की ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक 5.27 करोड़ रुपये की संपत्ति पाई गई।

ईडी की जांच में पता चला कि दाचा जनार्दन महेश ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग करके नकद भुगतान के माध्यम से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई अचल संपत्तियां अधिग्रहित कीं। यह भी पता चला कि दाचा जनार्दन महेश ने अधिग्रहित अचल संपत्तियों को बेदाग दिखाने के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा कराया, जिसका उपयोग बाद में अचल संपत्तियों की खरीद के साथ-साथ व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी किया गया। जांच में यह भी पता चला कि दाचा जनार्दन महेश ने अपने चचेरे भाई के. बी. लक्ष्मीनारायण, जो मेसर्स महेश्वरी कंस्ट्रक्शंस के साझेदार हैं, की सहायता से "श्री इंदिरा सदन" नामक परियोजना के विकास और निर्माण के लिए अपराध से प्राप्त धन का उपयोग किया।

आगे की जांच जारी है।